(नियम 13)

[G]eneral Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस.

[कास]म पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई [(मुस्लि]लम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ [जिल]ा झुन्झुनू।	–बनाम–	हनीफ पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति मुसलमान निवासी जाखल तहसील नवलगढ वगेरह।
[किस्]म मुकदमा –दावा बाबत घोषणार्थ, व रिकार्ड दुरूस्ती		मु.नं. 84 /2021 GCMS No

[क्रमांक आ]देश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
[..].09.21	आज यह वाद वादी **कासम पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल** की ओर से वकील **श्री महेश कुमार नारनोलिया** द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 21.10.2021 को पेश हो। दमयंती कंवर (R.A.S.) ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ़	
21/10/21 KASSAM मो० कासम अंगूठा मो० युनुस मो० रफीक पहचानकर्ता [illegible] दिनांक 21-10-2021	**प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021** पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग शिविर 2021 के तहत ग्राम पंचायत जाखल में पेश हुई। वकील प्रतिवादी श्री सुमेर सिंह सैनी एड० ने वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। सुना जोवार एड०। पक्षकार उपस्थित है। शामिल में मो० कासम, मो० रफीक, मो० युनुस के फर्द पहचान के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल किये गये। वाद के सम्बन्ध में तहसीलदार नवलगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार उक्त वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। आदेश अतः वाद वादी मुताबिक वाद पत्र में चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। नि[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

यह पत्र निर्णय का भाग होगा। डिक्री
पृथक से जारी हो। ~~कब्जा~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित
किया जाता है अनुसार मुताबिक आदेश
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
पत्रावली फैसल शुमार हो कर्ज
से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल
दफ्तर हो।

सुमन सोनल RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गाँवों के संग अभि. 2021, पं.स. नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं0:– 84/21 (कासम वगैरह वगै0 बनाम हनीफ वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21/10/2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम कांटे मे स्थित भूमि खाता सं. नम्बर 406 पुराना 53 मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक वाद पत्र मे चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन............–............... मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. ....माह .... सन .2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

8

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

कासम आदि बनाम तहसीलदार

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती,</u>

शपथ–पत्र

मैं, कासम पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0) का हूँ जो कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:–

1. यह कि दावा की मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की सलाह से एवं मेरे कानूनी सलाहकार की सलाह से सही व सत्य होना स्वीकार करता हूँ।
2. यह कि उक्त शपथ पत्र को ही वाद पत्र का अभिन्न अंग पढ़ा जावें तथा शपथ पत्र को वाद पत्र के साथ पढ़ा जाकर वाद पत्र के आधार ही शपथ पत्र के आधार माने जावें।
3. यह कि दावें में मैनें कुछ भी तथ्य नही छुपाया है।

दिनांकः– 8/9/21 हस्ताक्षर शपथकर्ता

KASSAM

<u>तस्दीक</u>

मै कासम पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0) का हूँ जो कि शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र स्वयं की जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार करता हूँ।

KASSAM

दिनांक 8/9/21 हस्ताक्षर शपथकर्ता

KASSAM

ATTESTED
OATH COMMISSIONER
NAWALGARH

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक

मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़।

1. कासम पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

2. मोहम्मद युसुफ पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0) हाल आबाद मोहल्ला ईस्लामपुर वार्ड नं. 44 सीकर जिला सीकर (राज0)

3. रफीक पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

............वादीगण

बनाम

1. हनीफ पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति मुसलमान निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

............प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती,

महोदय,

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्नानुसार श्रीमानजी की सेवामें पेश है:–

1. यह कि ग्राम कारी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 406 पुराना 353 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1827/735 रकबा 0.5100 है0, खसरा नं. 1828/736 रकबा 0.1300 है0, खसरा नं. 731 रकबा 0.92 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600 है0 बारानी स्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड वादीगण की माता के नाम दर्ज चला आ रहा है। जो आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वादीगण की माता सकीना खातेदार काश्तकार थी सकीना ने उपरोक्त भूमि को अपने जीवनकाल में काश्त किया ओर काबिज रही तथा वादीगण की माता सकीना का स्वर्गवास दिनांक 22.07.1995 को हो गया है तथा वादीगण के पिता समदा उर्फ टोरू का भी स्वर्गवास हो गया है। वादीगण माता का स्वर्गवास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत अगर कोई काश्तकार निर्ववसीयत मृत्यु होती है तो उसकी काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

KASSAM

भूमि को उसके वारिसानों में स्वतः ही निगमित हो जाती है वादीगण सकीना के जायन्दा पुत्रगण है वादीगण की माता सकीना ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि की कोई वसीयत नही लिखी है वादीगण का उपरोक्त भूमि में हक निहित है लेकिन आज भी उपरोक्त विवादित भूमि में वादीगण की माता सकीना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शुदा है वादीगण अपने हक व हिस्से की अधिकारों की घोषणा करवाने यह दावा घोषणार्थ श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रहे है।

3. यह कि वादीगण की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सकीना पत्नी टोरू नाम से दर्ज चला आ रहा है वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में टोरू गलत दर्ज हो गया जबकि वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में समदा दर्ज होना चाहिए था वादीगण के पिता का गलत नाम दर्ज होने से वादीगण सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त नही कर सकते है। इसलिए वादीगण के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में टोरू के स्थान प[illegible] सही व शुद्ध करवाने हेतु यह दा[illegible] हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वादीगण की ग्राम कार[illegible] दूसरी भूमि जिसके नये खाता संख्या 463 पुराना 399 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0

KASSAM

730 रकबा 0.700 है0 में प्रतिवादी नं. 01 के पिता का नाम समदा सही दर्ज है। प्रतिवादी न. 1 हनीफ को ग्राम कारी के अन्तर्गत खाता संख्या 463 पुरना 399 क अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 730 रकबा 0.700 है0 भूमि वादीगण के बड़े भाई हनीफ को कर्ता खानदान होने की वजह से उक्त राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी न0 1 अकेले के नाम से दर्ज चला आ रहा है इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 में प्रतिवादी नं0 1 का कोई कब्जा काश्त नही है इस कारण से वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 की माता सकीना के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी समदा दर्ज है जबकि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि मे वादीगण के पिता का नाम टोरू गलत रूप से दर्ज हो गया है।

5. यह कि वादीगण ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति है ज्यादा पढ़े लिखे नही है। मेहनत मजूदरी करके अपनी आजीविका चलाते है। वादीगण दिनांक 25.02.2021 को पटवारी हल्का कारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त भूमि आपके माता के नाम से दर्ज है आपके नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

KASSAM

दर्ज नही हैं। तथा इस रिकॉर्ड में आपके पिता का नाम टोरू है तथा आपकी माता के मृत्यु प्रमाण पत्र में समदा दर्ज है तब वादीगण के राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त हुई। वादीगण को पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही थी क्यों कि वादीगण की माता की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है जिसका कोई विवाद नही है। वादीगण उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में अपने माता का नाम हजफ करवाने के लिए तथा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए यह दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ।

6. यह कि उक्त वादपत्र के लिए वादीगण को पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर गलत राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर सही जानकारी होने के रोज दिनांक 25.02.2021 को अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ तथा इस प्रकार के वादपत्र के लिए वादाधिकार हमेशा ही पैदा [illegible] है।

7. यह कि प्रश्नगत भूमि अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार प्राप्त है। KASSAM

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि वाद पत्र घोषणार्थ, एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का है जो 4/–रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

9. यह कि वाद पत्र नियमानुसार अन्दर मियाद पेश है।

10.यह कि दावा दो प्रतियों में पेश है।

अतः वाद पेशकर निवेदन है किः–

(क) यह कि वादीगण का दावा बहक प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कारी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 406 पुराना 353 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1827/735 रकबा 0.5100 है0, खसरा नं. 1828/736 रकबा 0.1300 है0, खसरा नं. 731 रकबा 0.92 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5600 है0 में वादीगण की माता सकीना पत्नी टोरू का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। तथा वादीगण के पिता का नाम टौरू के स्थान पर समदा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

(ख) यह कि अन्य [illegible] जो वादीगण के पक्ष मे हो ओर चाहि जाने से रह गई हो [illegible] वह भी दिलवाई जावें।

(ग) यह कि खर्चा मुकद[illegible] दिलवाया जावें।

दिनांक

KASSAM

वादीगण

1. कासम पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

2. मोहम्मद युसुफ पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0) हाल आबाद मोहल्ला ईस्लामपुर वार्ड नं. 44 सीकर जिला सीकर (राज0)

3. रफीक पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

तस्दीक

मैं, कासम पुत्र समदा उर्फ टोरू जाति कसाई (मुस्लिम) निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0) का हूँ जो कि शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त दावा की मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी में सही होना स्वीकार करता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested